संख्या: 26/2025/285/छप्पन-2025-02/2006

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2025

विषय: जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने हेतु ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित सिंचाई विभाग की 2.074 है0 भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-345/ना0उ0नि0-ह0प0-2-2025/2020-21 दिनांक 28 जनवरी, 2025 एवं पत्र संख्या-341/ना0उ0नि0-ह0प0-2/2020-21 दिनांक 28 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने हेतु ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित सिंचाई विभाग की 2.074 है0 भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में यथावश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने हेतु ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित सिंचाई विभाग की 2.074 है0 भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को निम्नलिखित निर्णय लिए गए है :-

''जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने हेतु सिंचाई विभाग के स्वामित्व की ग्राम सिवनीखुर्द की 2.074 है0 भूमि एवं परिसम्पत्तियाँ नागरिक उड्डयन विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तान्तरित किए जाने एवं वहाँ पर उपलब्ध अवसंरचनाओं (यदि कोई हों तो) को सम्बन्धित विभाग यथा सिंचाई विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से धनराशि व्यय कर विस्थापित किया जाए।''

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने हेतु ग्राम सिवनीखुर्द में स्थित सिंचाई विभाग की 2.074 है0 भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के लिए मा0 मन्त्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अग्रत्तर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0-26/2025/285(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/नियोजन/राजस्व विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, ललितपुर।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।